भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000 TWENTY THOUSAND RUPEES

बीस हजार Rs. 20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687137

बैनामा / विक्रय विलेख पत्र

किस्म दस्तावेज	—	बैनामा
भूमि का प्रकार	—	कृषि भूमि
मौजा / ग्राम	—	मौजा– ककुआ, तहसील व जिला आगरा
सम्पत्ति का विवरण	—	कृषि भूमि खाता सं0 00612 (1427–1432 फसली) खसरा सं0 791 क्षेत्रफल 0.9120 हेक्टेयर में से 0.2743 हेक्टेयर
यूनिक कोड	—	1246210791000012
मापन की इकाई	—	हेक्टेयर
विक्रीत क्षेत्रफल	—	0.2743 हेक्टेयर
पेड़ों का मूल्यांकन	—	पेड़ नहीं है।

2010/48

960/00

उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687138

कुंआ, बोरिंग व अन्य–		नहीं है
सड़क की स्थिति	–	सामान्य कृषि भूमि
सरकारी मालियत	–	34,28,750 / – रूपया
प्रतिफल की धनराशि–		1,37,15,000 / –रूपया
सर्किल रेट	–	125,00,000 / – रूपया प्रति हेक्टेयर जो उपनिबन्धक चतुर्थ सदर आगरा की दर सूची के पृष्ठ संख्या 47 क्रम सं0 245 पर अंकित है।
स्टाम्प	–	9,60,100 / – रूपये

नि॰ ना॰ पार्वती

2000
47

960/00

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687139

अन्य विवरण – विक्रीत आराजी की 200 मीटर की परिधि में कृषि हो रही है। विक्रीत आराजी राष्ट्रीय राजमार्ग, लिंक मार्ग व आबादी के सहारे स्थित नहीं है, सामान्य कृषि भूमि है। विक्रीत आराजी धारा 80 के अन्तर्गत आबादी घोषित नहीं हुई है। विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य नहीं है।

श्रीमती पार्वती पत्नी श्री वासदेव उर्फ वासुदेव निवासी ककुआ, तहसील व जिला आगरा मो0नं0 7830855518 पैन नं. GXZPP1222F

.........प्रथम पक्ष / विक्रेता

एवं

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा जो उत्तर प्रदेश शहरी एवं विकास अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत गठित एक निगमित निकाय है, जिसका पंजीकृत कार्यालय रतन मुनि रोड, जयपुर हाउस कालोनी आगरा (उत्तर प्रदेश) पर स्थित है द्वारा सहप्रभारी भूअर्जन श्री विमल कुमार जिन्हें उपाध्यक्ष के आदेश दिनांक 14.08.2024 द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया है। मो0 नं0 9458626266 पैन नं. AAALA0081F

............द्वितीय पक्ष / क्रेता

श्रीमती पार्वती

2000/56

यह स्टाम्प धनराशि रू0 960100
में - 1 में शामिल है।

[illegible] रुपौरिया
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687140

प्रलेख –

विदित हो कि विक्रेता प्रथम पक्ष एक किता आराजी बाकै मौजा ककुआ तहसील व जिला–आगरा कृषि भूमि खाता सं0 00612 (1427–1432 फसली) खसरा सं0 791 क्षेत्रफल 0.9120 हैक्टेयर में से 0.2743 हेक्टेयर लगानी 60ख अनुसार सन् फसली 1427–1432 फसली का संक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिज व दखील दर्ज खातेदार चला आता है। जिसमें सिवाय प्रथम पक्ष के अन्य कोई दीगर व्यक्ति हकदार व हिस्सेदार किसी प्रकार का नहीं है। जिसकी वावत् विक्रेता ने शपथ पत्र भी द्वितीय पक्ष के कार्यालय में प्रस्तुत किया है कि उसका उक्त खाते की भूमि में संयुक्त रूप से 0.2743 हेक्टेयर हिस्सा है जिसको वह द्वितीय पक्ष के हक में विक्रय करने को पूर्ण रूप से सहमत है उक्त विक्रय की वावत् उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और न भविष्य में होगी। उक्त आराजी आज की तारीख तक हर प्रकार के ऋण, विक्रय, दान, जमानत, सौदे, दावे, झगड़े, इक्यूटेबिल मोरगेज व हर प्रकार की देनदारियों, जिम्मेदारियों आदि से पाक व साफ है।

20/00
45

यह स्टाम्प धनराशि रु0 960/00
नं0 - 1 में शामिल है।

हरेन्द्र राजौरिया
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687141

विक्रीत आराजी नजूल या राजकीय आस्थान या ग्राम सभा की सम्पत्ति नहीं है और न ही राज्य सरकार द्वारा किसी योजना में अधिग्रहित है और न कोई मुआवजा प्रथम पक्ष या अन्य ने प्राप्त किया है। विक्रीत आराजी कृषि भूमि है और विक्रीत आराजी को उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006, की धारा 80 के अन्तर्गत आबादी घोषित नहीं किया गया है और न ही किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की है। यह कि द्वितीय पक्ष क्रेता टाउनशिप विकसित करने हेतु उक्त कृषि भूमि को क्रय करने का इच्छुक है जिसको क्रय करने के लिए द्वितीय पक्ष द्वारा सरकारी मालियत की चार गुना धनराशि प्रथम पक्ष को अदा कर रहा है। अतः प्रथम पक्ष अपनी सम्पूर्ण आराजी को द्वितीय पक्ष को विक्रय करने हेतु सहमत है। जिसमें विक्रेता का पूरा–पूरा लाभ है।

2080
44

960/10

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687142

लिहाजा विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपनी राजी व खुशी से खूब सोच व समझकर बिना बहकाये व सिखाये व बिना दबाब किसी नाजायज के इन्द्रियों की ठीक दशा में उक्त वर्णित आराजी का विक्रय 1,37,15,000/– रूपया में आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा पंजीकृत कार्यालय रतन मुनि रोड, जयपुर हाउस कालोनी, आगरा (उत्तर प्रदेश) द्वारा सहप्रभारी भूअर्जन श्री विमल कुमार क्रेता द्वितीय पक्ष के हक में पूर्ण अधिपत्य व स्वामित्व व गुड टायटिल सहित वैय कतई किया और बेच दिया। प्रथम पक्ष ने कीमत का कुल रूपया मु0 1,37,15,000/– रूपया इस प्रकार प्राप्त किया कि–

2000
43

960100

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687143

क्र.स.	धनराशि	चैक / डी0डी0 RTGS/UPI सं0	दिनांक	बैंक का नाम
1.	1,37,15,000/–	066819	12-03-25	HDFC
कुल	1,37,15,000/–			

(नोट– विक्रीत आराजी कृषि भूमि होने के कारण इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 194(एल.ए) के तहत टी0डी0एस0 काटने की आवश्यकता नहीं है।)

इस प्रकार प्रथम पक्ष विक्रेता ने द्वितीय पक्ष क्रेता से कीमत की पूर्ण धनराशि प्राप्त कर ली है। जिसको प्रथम पक्ष गवाहों के समक्ष प्राप्त होना स्वीकार करता है। अब उपरोक्त कृषि भूमि की कीमत के सन्दर्भ में प्रथम पक्ष विक्रेता का द्वितीय पक्ष क्रेता से कुछ लेना व पाना शेष नहीं रहा है और न भविष्य में होगा।

2000
42

960/00

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687144

अतः कब्जा व दखल विक्रीत कृषि भूमि पर विक्रेता प्रथम पक्ष ने क्रेता द्वितीय पक्ष का करा दिया और द्वितीय पक्ष को विक्रीत कृषि भूमि का पूर्णतः मालिक व स्वामी बना दिया। अब आज की तारीख से उपरोक्त खसरा नम्बरों की कृषि भूमि में प्रथम पक्ष व उनके उत्तराधिकारियों का कोई हिस्सा व स्वामित्व किसी प्रकार का शेष नहीं रहा और न भविष्य में होगा तथा क्रेता द्वितीय पक्ष को अधिकार है कि वह विक्रीत कृषि भूमि से चाहे जिस प्रकार लाभ उठावे, विक्रय करे, कृषि कार्य करे चाहे जैसे अपने प्रयोग में लावे, किसी भी ऋणदायी संस्था से ऋण प्राप्त करे अथवा जिस प्रकार चाहे क्रय की गई भूमि का उपयोग करे। इसमें प्रथम पक्ष व उसके उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है और न भविष्य में होगी। क्रेता द्वितीय पक्ष उपरोक्त बैनामा के आधार पर राजस्व अभिलेखों में अपने नाम का नामांतरण कराये प्रथम पक्ष विक्रेता अपनी पूर्ण सहमति प्रदान करता हैं। विक्रीत कृषि भूमि से सम्बन्धित खसरा व खतौनी संलग्न हैं।

20m0/41

यह स्टाम्प धनराशि रू0 ......960/00......
के0 - 1 से सम्मिलित है।

कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687145

यह कि अगर भविष्य में कोई कौमी या खानदानी या कोई वारिस या कोई दीगर व्यक्ति या कोई दीगर किफालतदार पैदा होकर दावा व झगड़ा क्रेता द्वितीय पक्ष से करे या जिसकी वजह से किसी को कोई रकम अदा करने पड़े या खर्चा करने पड़े या क्रेता के हक व अधिकार से उक्त आराजी का कुल जुज व कब्जा व दखल निकल जावे, तो ऐसी उन कुल तमाम सूरतों में उस कुल की जबावदेही व जिम्मेदारी व अदायगी प्रथम पक्ष व वारिसान प्रथम पक्ष की होगी जिसमें प्रथम पक्ष व वारिसान प्रथम पक्ष को कोई उज्र व एतराज व आपत्ति नहीं होगी। विक्रेता प्रथम पक्ष यह घोषणा करता है एवं वचन देता है कि उसके द्वारा विक्रय प्रतिफल धन से पूर्ण संतुष्ट होकर यह विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है

20000
40

यह स्टाम्प धनराशि रू0 860100
सं0 – 1 मे शामिल है ।

[illegible] रोकडिया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687146

और इस सम्बन्ध में अथवा विक्रय प्रतिफल धनराशि को बढ़वाने के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय अथवा ट्रिबुनल आदि में कोई भी वाद अथवा कानूनी कार्यवाही नहीं करेगा तथा यदि विक्रीत भूमि की वास्तविक पैमाइश के समय भूमि मौके पर कम पायी जाती है तो वह आनुपातिक रूप से कम भूमि का मूल्य मय ब्याज 12 प्रतिशत सालाना की दर से क्रेता द्वितीय पक्ष आगरा विकास प्राधिकरण आगरा को वापस कर देगा। ऐसा नहीं करने पर क्रेता द्वितीय पक्ष विधिक प्रक्रिया के तहत उसे मय ब्याज व हर्जे, खर्चे के विक्रेता प्रथम पक्ष व उसके वारिसानों से वसूल करने का अधिकारी होगा।

2070
39

8601/20

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687147

यह कि विक्रय प्रतिफल धनराशि पर यदि कोई इनकम टैक्स देय होगा अथवा विक्रीत भूमि पर यदि कोई अन्य टैक्स अथवा वैधानिक देयता पायी जाती है तो उसे अदा करने की जिम्मेदारी विक्रेता प्रथम पक्ष की होगी। महानिरीक्षक निबन्धन उ0प्र0 के आदेशानुसार भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) के अनुसार लेखपत्र में वे सभी तथ्य और परिस्थितियाँ जो स्टाम्प देयता को प्रभावित कर सकती हैं, पूर्णतया सत्यता पूर्वक अंकित कर दिये गये हैं। उक्त बैनामा का खर्चा व स्टाम्प शुल्क द्वितीय पक्ष क्रेता द्वारा अदा किया गया है।

20mo
38

960/10

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687148

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

2000
37

960100

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687149

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

2000/36

स्टाम्प धनराशि रु. 960/00
- 1 में शामिल है।

दर्कौरिया
मुद्रक रोकड़िया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687150

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

2000
35

यह स्टाम्प धनराशि रु0.......9601/-
सं0 - 1 में शामिल है ।

.रेश राजौरिया
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687151

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

2000/34

960100

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687152

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

2000/33

960/00

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687153

-17-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

20000/32

रु0 960/00

कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687154

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

2000
31

कुल स्टाम्प धनराशि रु0 960100
नं0 - 1 पे शामिल है ।

ए.के. राजौरिया
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687155

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

2000/30

यह स्टाम्प धनराशि रु0 960/-
नं0 - 1 मे शामिल है !

... राजौरिया
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000 बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687156

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

20800
29

860100

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687157

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

2000
28

960100

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687158

-22-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

2000/25

यह स्टाम्प धनराशि रू0 960100
में - 1 में शामिल है ।

[illegible]
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687159

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

यह स्टाम्प धनराशि रू0 960100 नं0 - 1 मे शामिल है ।

राजौरिया
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000 बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687160

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

2000
25

960/00

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687161

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

2000/24

960100

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687162

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

2000/23

यह स्टाम्प धनराशि रु0 9,60100
...से हस्तांकित है।

मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687163

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

2000
22

यह स्टाम्प धनराशि रू0 9,60100
नं0 – 1 में शामिल है ।

भरी राजौरिया
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687164

-28-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

2020/21

960/00

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687165

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

2070
20

9.60/00

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687166

-30-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

20/00
19

यह स्टाम्प धनराशि रु0 960/00
नं0 - 1 में शामिल है।

... राजोरिया
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687167

-31-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

2000
18

यह स्टाम्प धनराशि रू0 5,60100
नं0 - 1 में शामिल है ।

...जौरिया
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

उ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687168

-32-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

2010/17

960/10

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687169

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

20m0/16

960100

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687170

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

2000/15

९60150

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687171

-35-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

2000/15

स्टाम्प धनराशि रु0 ९60/00
सं0 - 1 में शामिल है।

[illegible]
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687172

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

यह स्टाम्प धनराशि रू0 160100
नं0 - 1 मे शामिल है।

...श राजौरिया
मुख्य रिकार्डिया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687173

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

2000/12

यह स्टाम्प धनराशि रु0 960/00 नं0 - 1 मे शामिल है ।

हदेश राजौरिया
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687174

7 MAR 2025

-38-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

2010/11

9 60/00

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687175

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

20100/10

यह स्टाम्प धनराशि रु0 9,60100

की - 1 से शामिल है।

उमेश राजौरिया

स्टाम्प लिपिक

आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687176

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

2000/9

यह स्टाम्प धनराशि रु0 9600/00
नं0 - 1 में शामिल है।

राजौरिया
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

उ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687177

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

20000/8

यह स्टाम्प धनराशि रू0 860100
नं0 - 1 मे शामिल है !

राजौरिया
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687178

-42-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

2000/7

यह स्टाम्प धनराशि रु0......960100
नं0 - 1 मे शामिल है !

[illegible] या
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687179

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

2010 / 6

9601/10

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687180

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

20110
5

यह स्टाम्प धनराशि रू0.........960100
नं0 - 1 में शामिल है ।

कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687181

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

2000/5

यह स्टाम्प धनराशि रू0 960/00
नं0 - 1 मे शामिल है ।

[illegible]
मुद्रा रेकडिया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687182

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

2000
3

960100

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687183

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

आवेदन सं०: 202500766017147

यह स्टाम्प धनराशि रु० 960100
सं० - 1 में रखित है।

(सरकारी)

विक्रय पत्र

बही सं०: 1	रजिस्ट्रेशन सं०: 2385	वर्ष: 2025

प्रतिफल- 13715000 स्टाम्प शुल्क- 960100 बाजारी मूल्य - 13715000 पंजीकरण शुल्क - 137150 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 220 योग : 137370

श्री आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा
विमल कुमार अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
सहप्रभारी भूअर्जन
व्यवसाय : अन्य
निवासी: आगरा

विमल कुमार अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

श्री, आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 12/03/2025 एवं
05:01:23 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्र० महेश गोस्वामी ०
उप निबंधक :सदर चतुर्थ
आगरा
12/03/2025

० ० ०
निबंधक लिपिक
12/03/2025

प्रिंट करें

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687184

अतः यह विक्रय पत्र हम दोनों पक्षों ने आज दिनांक 07.10.2024 को इसके प्रारूप से सन्तुष्ट होकर नीचे लिखे अपने परिचित साक्षियों के समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर व निशानात अंगूठों के द्वारा निष्पादित किया तथा साक्षियों ने भी पक्षों के कहने पर इसी समय तथा उन्हीं के समक्ष अपनी गवाही दी इस विक्रय पत्र का प्रारूप पक्षों के दिये

आवेदन सं०: 202500766017147

आगरा विकास प्राधिकरण

बही सं०: 1 | रजिस्ट्रेशन सं०: 2385 | वर्ष: 2025

यह स्टाम्प धनराशि रू० 260/00 नं० - 1 में शामिल है ।

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्रीमती पार्वती, पुत्री श्रीमती वासदेव उर्फ वासुदेव

निवासी: ककुआ, तहसील व जिला आगरा

व्यवसाय: अन्य

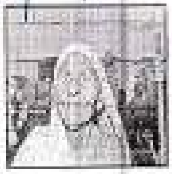

क्रेता: 1

श्री आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा विमल कुमार, सहप्रभारी भूअर्जन

निवासी: आगरा

व्यवसाय: अन्य

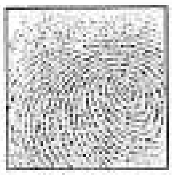

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री विनोद कुमार, पुत्र श्री रघुवीर सिंह

निवासी: 8/153 ई-10 न्यू लॉयर्स कालोनी, आगरा।

व्यवसाय: अन्य

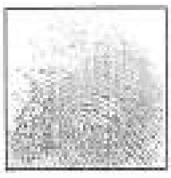

पहचानकर्ता : 2

श्री रवि बघेल , पुत्र श्री नन्द किशोर

निवासी: 17/166 टीला माईथान, आगरा

व्यवसाय: अन्य

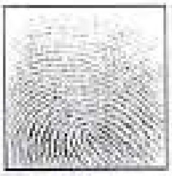

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

प्र० महेश गोस्वामी ०
उप निबंधक : सदर चतुर्थ
आगरा
12/03/2025

० ० ०
निबंधक लिपिक आगरा
12/03/2025

प्रिंट करें

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GM 306387

गये निर्देशों के अनुसार उनकी संतुष्टि पर प्रवीन कुमार रावत एडवोकट ने तैयार किया और दोनों पक्षों ने पढ़कर व सुनकर निष्पादित व हस्ताक्षरित किया है।

गवाह–1 विनोद कुमार पुत्र रघुवीर सिंह नि0 8/153 ई–10 न्यू लॉयर्स कालोनी, आगरा। मो0नं0 7895495945

गवाह– 2 रवि बघेल पुत्र श्री नन्द किशोर नि0 17/166 टीला माईथान, आगरा मो0नं0 8535056934

100/45

यह स्टाम्प धनराशि रू० 360/00
नं० - 1 मे शामिल है।

[signature] 12/03/25

कुरेश रावोरिया
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

आवेदन सं०: 202500766017147

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 7581 के पृष्ठ 115 से 214 तक क्रमांक 2385 पर दिनाँक 12/03/2025 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्र० महेश गोस्वामी ०
उप निबंधक : सदर चतुर्थ
आगरा
12/03/2025

प्रिंट करें

SITE PLAN OF KHASRA NO (GATA NO) - 791
SITUATED AT VILLAGE - KAKUA TEHSIL- SADAR , AGRA

AREA - 0.9120 HECT.

PURCHASER (ADA) -

SELLER -

BOUNDARIES

NORTH - OTHER'S GATA

SOUTH - OTHER'S GATA

EAST - OTHER'S GATA

WEST - OTHER'S GATA

भू धारक का नाम	गाटा सं०	प्रस्तावित रकबा है० में	शेयर	क्षेत्रफल शेयर के अनुसार है० में
[illegible]	791	0.9120	0.2743	0.2743
[illegible]			0.16495	0.16495
[illegible]			0.3073	0.3073
सुनील कुमार पुत्र कमल सिंह			0.027575	0.027575
महेन्द्र कुमार पुत्र कमल सिंह			0.027575	0.027575
[illegible]			0.027575	0.027575
[illegible]			0.027575	0.027575
[illegible]			0.027575	0.027575
[illegible]			0.027575	0.027575

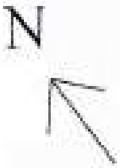

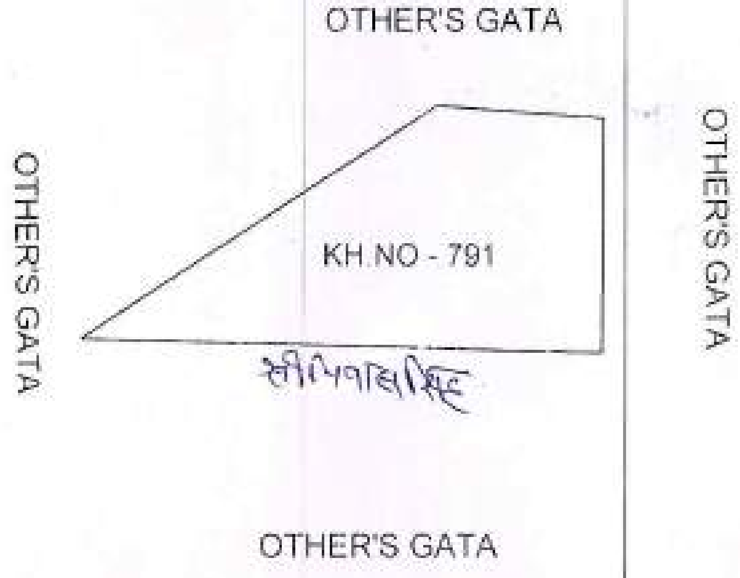

(AGRA DEVLOPMENT AUTHORITY)
PURCHASER

SELLER

DRAWN BY